एस.एस. कांग और डी.वी. सेंगल न्यायमूर्ति के समक्ष

ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,

- अपीलकर्ता।

बनाम

श्रीमती. चंद्रावली और अन्य-प्रतिवादी।

1984 के आदेश क्रमांक 272 से प्रथम अपील

5 दिसंबर 1988.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)— आदेश 12 नियम 2 और 3 ए- साक्ष्य अधिनियम (1872 का 1) धारा 64, 65 और 66-दस्तावेजों को स्वीकार करना और अस्वीकार करना-उक्त उद्देश्य के लिए पूर्व सूचना-आवश्यकता-न्यायालय द्वारा पार्टी से दस्तावेजों को स्वीकार करने की अपेक्षा करना-कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं-बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि साक्ष्य में स्वीकार की गई और प्रदर्शित की गई-मूल मालिक के कब्जे में-शर्तें अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए पूरा नहीं किया गया—बीमा पॉलिसी—चाहे साक्ष्य में स्वीकार्य हो।

माना गया कि आदेश. XII नियम 2सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यह प्रावधान है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए बुला सकता है और यदि बाद वाला ऐसा करने में उपेक्षा करता है तो निश्चित परिणाम होंगे। नियम 2 ए द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि न्यायालय, दी गई परिस्थितियों में, दस्तावेज़ को स्वीकार्य मानेगा। नियम 3ए के तहत बिना किसी पूर्व सूचना के भी, न्यायालय किसी भी पक्ष को किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए बुला सकता है। जहां किसी दस्तावेज़ को किसी पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसके विरुद्ध इसे साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की जाती है, तो साक्ष्य में स्वीकार किए जाने से पहले इसका औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं है। अन्य सभी मामलों में किसी दस्तावेज़ को अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार उसके प्रमाण पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दस्तावेज़ कोई भी हो, उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तब

तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी वास्तविकता को या तो स्वीकार नहीं किया गया हो या सबूत द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो, जो दस्तावेज़ द्वारा प्रदर्शित किए जाने से पहले दिया जाएगा।

अदालत। इसलिए, इसके बीमा की पॉलिसी की प्रतिलिपि के रूप में चिह्नित होने के बावजूद इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया है, और इसके प्रमाण को समाप्त नहीं किया गया है। (पैरा 11).

माना गया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 66 के तहत बीमाकर्ता को पहले बीमा की मूल पॉलिसी पेश करने के लिए मालिक को नोटिस देना आवश्यक था और ऐसा करने में विफल रहने पर वह धारा 65 खंड (ए) के तहत इसकी प्रति प्रस्तुत कर सकता थ। हालाँकि, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई भी कदम बीमाकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया था। इसलिए, कार्यवाही के अंतिम चरण में यह बीमा की पॉलिसी की एक प्रति नहीं दे सकता है और इसे अपने वकील के बयान के माध्यम से एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं कर सकता है। (पैरा 10).

अदालत के आदेश श्री ए.पी. चौधरी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नारनौल, दिनांक 30 नवंबर, 1983 के खिलाफ प्रथम अपील, याचिका को अनुमति दी तथा 760 X 12 X 10—91,200 रुपये की सीमा याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आनुपातिक लागत और ब्याज के साथ और आगे आदेश दिया गया कि बीमा कंपनी प्रतिवादी संख्या 3 पुरस्कार को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस.के. शर्मा

एम. एस. सिंगला, वकील, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 6 के लिए प्रबोध मित्तल और जसवन्त जैन के साथ हरि मित्तल।

निर्णय

डी. वी. सहगल, जे.

(1) इसमें शामिल कानून के प्रश्नों से निपटने के उद्देश्य से, तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि जिस वाहन मेटाडोर की पंजीकरण संख्या एचआरएम-1808 है, जिसके कारण अतर सिंह की मृत्यु हुई, उसका बीमा ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'बीमाकर्ता') से किया गया था। मृतक की विधवा और बच्चों (संक्षेप में 'दावेदारों') द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-ए के तहत किए गए दावे के आवेदन पर, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') ने फैसला सुनाया। उनके पक्ष में मुआवजे के तौर पर 91,200 रुपये का मुआवजा यह मानते हुए दिया कि दुर्घटना उक्त वाहन की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

1984 का एफएओ संख्या 232 उन दावेदारों द्वारा दायर किया गया है जिनकी शिकायत है कि दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है। 1984 का एफएओ नंबर 272 बीमाकर्ता द्वारा है, जो अन्य आधारों पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने के अलावा, तर्क देता है कि बीमा की नीति के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए उसकी देनदारी 50,000 रुपये तक सीमित है। ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा आवेदन के परीक्षण के चरण में, बीमाकर्ता ने कोई सबूत पेश नहीं किया। हालाँकि, इसके वकील ने 20 सितंबर, 1983 को निम्नलिखित आशय का एक बयान दिया: -

"जे बीमा पॉलिसी की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। आर.1 और मेरे साक्ष्य बंद करें।

(2) बीमा की पॉलिसी की नकल एक्ज़िबिट आर.1 का तात्पर्य: बीमाकर्ता के सहायक प्रभागीय प्रबंधक द्वारा सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित किया गया है। इसे 20 मार्च को ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। 1983 जब उपरोक्त बयान इसके वकील द्वारा दिया गया था। बीमाकर्ता के वकील द्वारा उपरोक्त कथन पर कोई आपत्ति नहीं है और बीमा की पॉलिसी की प्रति को पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। R.1 को दावेदारों द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष लिया गया था। हालाँकि, इसकी स्वीकार्यता पर उनके द्वारा विवाद किया गया था जब उपरोक्त अपीलें एस.एस. सोढ़ी, जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। उन्होंने मेसर्स मालवा बस सर्विस (पी) लिमिटेड मोगा, जिला फरीद- में मेरे फैसले पर भरोसा किया। कोट, इसके प्रबंध निदेशक बनाम अमृत कौर और अन्य(1) के माध्यम से, जिसमें मैंने, अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार देखा: -

---

(1) 1987 (1) पी.एल.आर. 618.

"वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 1 ने इस तथ्य से इनकार करते हुए झूठी दलील दी कि बस का बीमा किया गया था। इस प्रकार, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि यह दलील गलत है और बस वास्तव में प्रतिवादी नंबर 8 के साथ बीमाकृत थी, तो उसे मुआवजे की पूरी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 8 के विद्वान वकील ने बचाव में दो दलीलें दी हैं। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि बीमा पॉलिसी को प्रदर्शन आर.1 के रूप में विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया गया है और उसी के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 8 की देनदारी उतनी ही राशि तक सीमित थी जितनी आवश्यक है। अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करें। हालाँकि, मुझे लगता है कि प्रदर्शनी आर.1 केवल बीमा पॉलिसी की एक प्रति है। इसे वकील के बयान at1 द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था मामले को बंद करने का चरण. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 64 में प्रावधान है कि धारा 65 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। धारा 65 में कहा गया है कि किसी दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य उसके अस्तित्व का दिया जा सकता है। ऐसे मामले में स्थिति या सामग्री जहां मूल दिखाया गया है या उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है जिसके खिलाफ दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है या किसी ऐसे व्यक्ति की पहुंच से बाहर है, या प्रक्रिया के अधीन नहीं है न्यायालय, या कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इसे पेश करने के लिए बाध्य है और जब, धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद, ऐसा व्यक्ति इसे पेश नहीं करता है। दूसरे, किसी दस्तावेज़ का साक्ष्य वहां भी प्रस्तुत किया जा सकता है जहां मूल नष्ट हो गया है या खो गया है, या जब इसकी सामग्री का साक्ष्य देने वाला पक्ष, अपनी गलती या उपेक्षा से उत्पन्न न होने वाले किसी भी कारण से, इसे उचित समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है या, जहां इनमें से कोई भी, धारा 65 में निर्दिष्ट शर्तें मौजूद हैं। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी स्थिति सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए, बीमा पॉलिसी प्रदर्शन आर-एल की प्रति साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 की शर्तों को पूरा नहीं

किया गया था। इसलिए, बीमा पॉलिसी प्रदर्शन आर-एल की प्रति को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(2) दूसरी ओर, बीमाकर्ता द्वारा गोपाल दास और अन्य बनाम श्री ठाकुरजी और अन्य(2), डोगर मल और अन्य बनाम सुनाम राम और अन्य(3), यू पो किन और अन्य बनाम यू सो गेल(4) और उमर-उद-दतन बनाम गुलाम मोहम्मद और अन्य(5) पर भरोसा किया गया था। उसी के सामने विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था: कि एम,:एस मालवा बस में मेरी टिप्पणियाँ ..सेवा का .मामला. (सुप्रा) पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, मामला एक बड़ी बेंच को भेजा गया था और इस प्रकार इसे हमारे सामने रखा गया है।

(3) यह मामला कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को जन्म देता है: -

(1) क्या बीमा की पॉलिसी को उसकी प्रतिलिपि एक्स आर-एल के उत्पादन से साबित किया जा सकता है जब तक कि कोई मामला न बनाया गया हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 65 के अर्थ के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए।

(2) क्या बीमा की पॉलिसी की प्रति को पूर्व के रूप में अंकित किया गया है। आर.1 इसे साक्ष्य में स्वीकार करने के बराबर है और कानून के अनुसार इसके अपराध की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है?
(3) यदि प्रश्न संख्या (1) और (2) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या अपीलीय न्यायालय विचार-विमर्श से बाहर कर सकता है। आर. 1 जब ट्रिब्यूनल के समक्ष इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति नहीं की गई?

---

(2) ए.आई.आर. जे 943 पी.सी. 83.

(3) एआईआर 1944 लाह। 58.

(4) एआईआर 1936 रंगून 277।

(5) एआईआर 1935 लाह। 628.

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-सी की उप-धारा (2) ट्रिब्यूनल को दस्तावेजों की खोज और उत्पादन के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') में निहित इस संबंध में प्रावधान ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 1. अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हलफनामे पर नहीं, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि 'न्यायालय' में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों को छोड़कर सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं। इसलिए?, अधिनियम के प्रावधान ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं। बीमाकर्ता ने 17 दिसंबर को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना लिखित बयान दायर किया। 1982 ने अपनी प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 5 में निम्नलिखित दलील दी: -

> "उत्तर देने वाला प्रतिवादी, केवल 50,000 रुपये की सीमा तक उत्तरदायी है। यदि दावा भाग सफल हो जाता है क्योंकि बीमा 50,000 रुपये तक घटना से उत्पन्न किसी एक दावे या दावों की श्रृंखला के संबंध में सीमित था

(6) दावेदार ने अपनी प्रतिकृति में इस दावे का खंडन किया और इस प्रकार कहा: -

> "लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्तियों का पैरा नंबर 5 गलत है, और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। "प्रतिवादी बीमा कंपनी के खिलाफ भी दावा की गई राशि के लिए याचिका सुनवाई योग्य है।

(7) आदेश VIII, संहिता के नियम 8-ए में कहा गया है कि जहां एक प्रतिवादी अपने बचाव को अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज़ पर आधारित करता है, तो वह इसे अदालत में तब पेश करेगा जब लिखित बयान उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और, उसी समय, लिखित बयान के साथ दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज़ या उसकी एक प्रति वितरित करें। एक दस्तावेज़ जो इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय की अनुमति के बिना, सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य के

रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, बीमाकर्ता ने अपने लिखित विवरण के साथ बीमा पॉलिसी की एक प्रति संलग्न नहीं की।

(8) बीमा की मूल पॉलिसी, निश्चित रूप से, बीमाकर्ता के कब्जे में नहीं हो सकती है। यह बीमाकृत वाहन के मालिक (संक्षेप में 'मालिक') के कब्जे और शक्ति में माना जाता है, इसलिए, बीमाकर्ता को मालिक को शपथ पर इसकी खोज करने का निर्देश देने के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए था। ट्रिब्यूनल, किसी भी समय, उसके समक्ष दावे के लंबित रहने के दौरान, मालिक द्वारा बीमा की मूल पॉलिसी को प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से आदेश दे सकता है। ऐसे कदम संहिता के आदेश XI, नियम 12 और 14 द्वारा प्रमाणित हैं। बीमाकर्ता बीमा की पॉलिसी या उसकी प्रति स्वीकार करने के लिए मालिक और दावेदारों को बुला सकता है। इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने में उनकी विफलता संहिता के आदेश XII द्वारा निर्धारित परिणामों को जन्म दे सकती है।

(9) अधिनियम की धारा 64 में कहा गया है कि दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य से सिद्ध होने चाहिए। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बीमा पॉलिसी की प्रति एक्ज़िबिट R.1 मूल के अस्तित्व, स्थिति और सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य की प्रकृति में है और अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त धारा 65 में निर्धारित निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी दिया जा सकता है:—-

(ए) जब मूल दिखाया जाता है या कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है: -

उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है या,

किसी भी व्यक्ति की पहुंच से बाहर, या न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं, या

किसी भी व्यक्ति का इसे उत्पादित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होना। और जब, धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद ऐसा व्यक्ति करता है-; इसका उत्पादन न करें;

(बी) जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री को उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया है जिसके खिलाफ यह साबित किया गया है या उसके प्रतिनिधि द्वारा हित में स्वीकार किया गया है;

(सी) जब मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या जब इसकी सामग्री का साक्ष्य देने वाला पक्ष किसी अन्य कारण से, जो उसकी अपनी चूक या उपेक्षा से उत्पन्न न हो, उचित समय में इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता है;

(डी) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो कि आसानी से हिलाया न जा सके।"

अधिनियम की धारा 66 के तहत बीमाकर्ता को बीमा की मूल पॉलिसी प्रस्तुत करने के लिए मालिक को पहले नोटिस देना आवश्यक था और ऐसा करने में विफल रहने पर वह धारा 65 के खंड (ए) के तहत इसकी प्रति प्रस्तुत कर सकता था। हालाँकि, संहिता या अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई भी कदम "बीमाकर्ता" द्वारा नहीं उठाया गया था। इसलिए, कार्यवाही के अंतिम चरण में यह केवल बीमा की पॉलिसी की एक प्रति में नहीं दिखाया जा सकता था और इसे इस रूप में चिह्नित अपने वकील के बयान के माध्यम से एक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था । इसलिए, प्रश्न संख्या (1) का उत्तर नकारात्मक है।

(11) आदेश XII, नियम !! संहिता में यह प्रावधान है कि कोई भी पक्ष किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए दूसरे पक्ष को बुला सकता है और यदि बाद वाला ऐसा करने में उपेक्षा करता है तो निश्चित परिणाम होंगे। उपरोक्त नियम 2-ए द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि न्यायालय, दी गई परिस्थितियों में, दस्तावेज़ को स्वीकार किए जाने योग्य मानेगा। उपरोक्त नियम 3-ए के तहत, बिना किसी पूर्व सूचना के भी, न्यायालय किसी भी पक्ष को किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए बुला सकता है। जहां किसी पक्ष द्वारा किसी दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाता है जिसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उसे पेश करने की मांग की जाती है, तो उसका प्रारूप! इसे साक्ष्य में स्वीकार करने से पहले प्रमाण आवश्यक नहीं है। अन्य सभी मामलों में किसी दस्तावेज़ को अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार उसके प्रमाण पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दस्तावेज़ जो भी हो, उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी वास्तविकता को या तो स्वीकार नहीं किया गया हो या सबूत द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो जो दस्तावेज़ को न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किए जाने से पहले दिया जाएगा। इसलिए, इसे Ex R.1 के रूप में चिह्नित किए जाने के बावजूद। बीमा की पॉलिसी की प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, और इसके प्रमाण को समाप्त नहीं किया गया है। इसलिए, प्रश्न संख्या (2) का उत्तर नकारात्मक है।

(12) तीसरे और अंतिम प्रश्न के पूर्ववर्ती प्रश्नों के उत्तर के आलोक में इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले, वह पूर्व. आर. 1 अधिनियम की धारा 65 के तहत कोई मामला बनाए बिना बीमा की मूल पॉलिसी के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरा, इसे Ex R.1 के रूप में चिह्नित किया गया था। आर. 1 इसकी सामग्री को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किए बिना और इसे कानून के अनुसार साबित किए बिना। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलीय अदालत पूर्व को बाहर कर सकती है। आर. 1 पर विचार तब किया गया जब ट्रिब्यूनल के समक्ष इसकी स्वीकार्यता और सबूत के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं की गई। यू पो किन के मामले (सुप्रा) में, रंगून उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा-

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 66 के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का नोटिस पहले उस पक्ष को दिया जाना चाहिए जिसके पास दस्तावेज़ है, इसकी सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य देने से पहले, लेकिन ऐसा नोटिस स्वीकार्य द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं है कुछ मामले, उदाहरण के लिए, जहां न्यायालय अपने विवेक से इससे छूट देना उचित समझता है, आपत्ति साक्ष्य प्राप्त करने के समय उठाई जानी चाहिए और अपीलीय अदालत में इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं लेने दी जानी चाहिए। द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता जिसे बिना किसी आपत्ति के ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था।"

(13) यू पो किन के मामले (सुप्रा) का अनुपात वहां लागू किया जा सकता है जहां कुछ शर्तें लागू होती हैं; अर्थात्, जहां न्यायालय अपने विवेक से मूल दस्तावेज़ के कब्जे या शक्ति वाले पक्ष को धारा 66 के तहत नोटिस देना उचित समझता है और जहां दस्तावेज़ की प्रति बिना किसी आपत्ति के ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है।

(14) जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों के संक्षिप्त विवरण से देखा जा सकता है, ट्रिब्यूनल द्वारा इस सवाल पर दिमाग का कोई सचेत उपयोग नहीं किया गया था कि क्या मालिक पर धारा 66 के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। माना जाता है कि बीमा की मूल पॉलिसी पर उसका कब्ज़ा या अधिकार है, उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। बीमा की पॉलिसी की प्रतिलिपि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश भी नहीं है। वास्तव में, पूरी बात बीमाकर्ता के वकील के 20 सितंबर, 1983 के बयान के साथ शुरू और

समाप्त हुई, जिसके द्वारा उन्होंने बीमा पूर्व की पॉलिसी की सच्ची प्रति आर. 1 तैयार की और उसका मामला बंद कर दिया। बीमा की पॉलिसी की प्रति का उत्पादन, उसके उत्पादन और साक्ष्य में प्रवेश के बराबर नहीं हो सकता है। जैसा कि बलदेव सहाय बनाम रम चांसियर और अन्य में एक डिवीजन बेंच ने कहा था, ए.आई.आर. 1931 लाहौर 546, से संबंधित दो चरण हैं दस्तावेज़. एक वह चरण है जब वे सभी दस्तावेज़ जिन पर पार्टी भरोसा करती है, न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। अगला चरण तब होता है जब दस्तावेज़ों को साबित किया जाता है और औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मानना मुश्किल है कि दस्तावेज़ के उत्पादन और प्रवेश के दोनों चरण एक साथ हुए। वास्तव में, बीमाकर्ता के वकील का बयान किसी भी तरह से बीमा पूर्व की पॉलिसी की प्रति साक्ष्य में आर 1. के प्रमाण और औपचारिक निविदा के बराबर नहीं है।

(15) उमर-उद-दीन के मामले (सुप्रा) में, यह एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया गया था कि जहां किसी कार्य की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति के बिना दिया जाता है, तो दूसरी अपील में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इसके विपरीत है और इसे लागू किया जाना चाहिए। सीतल दास बनाम संत राम और अन्य(6), एक ऐसा मामला था जहां 7 अक्टूबर, 1911 की एक पंजीकृत वसीयत की प्रति पर भरोसा किया गया था। यह दस्तावेज़ किसी भी गवाह द्वारा साबित नहीं किया गया था और न ही इस पर कोई प्रदर्शन चिह्न था अंतिम न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया था और न ही प्रस्तुत प्रति को धारा 63 के अर्थ में द्वितीयक साक्ष्य माना जा सकता है। रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य और अन्य(7), एक ऐसा मामला था जहां अधीनस्थ न्यायाधीश, मधुराई के न्यायालय के एक पुराने मामले के रिकॉर्ड से कुछ पट्टों की प्रमाणित प्रतियां पूर्व के रूप में पेश की गईं थीं। बी-4, 5, 6 और ए-68, 69 और 77। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां किसी भी समय ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं की गईं। अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जिला न्यायाधीश ने दस्तावेजों की प्रदर्शित प्रमाणित प्रतियों पर

---

(6) ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 606।

(7) ए.आई.आर 1966 एस.सी. 1457.

विचार किया। हालाँकि, अपील में उच्च न्यायालय ने इसे विचार से बाहर कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "किसी भी स्तर पर मूल प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं और न ही द्वितीयक साक्ष्य देने के अधिकार की स्थापना के लिए कोई नींव रखी गई। उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया और ऐसा करना स्पष्ट रूप से सही था। यदि हम इन दस्तावेज़ों को विचार से बाहर कर दें, तो अन्य दस्तावेज़ यह नहीं दिखाते हैं कि इनाम में कुडीवरम भी शामिल था।

(16) इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यू पो किन का मामला (सुप्रा) और उमर-उद-दीन का मामला (सुप्रा) अच्छा कानून नहीं बनाते हैं।

(17) निम्नलिखित टिप्पणियों को गोपाल दास के मामले में जगह मिलती है (सुप्रा): -

> "जहां आपत्ति यह नहीं है कि दस्तावेज़ अपने आप में स्वीकार्य है, बल्कि यह कि सामने रखे गए सबूत का तरीका अनियमित या अपर्याप्त है, यह आवश्यक है कि दस्तावेज़ को चिह्नित करने से पहले परीक्षण में आपत्ति ली जानी चाहिए एक प्रदर्शन और रिकॉर्ड में भर्ती कराया गया कोई भी पक्ष तब तक झूठ नहीं बोल सकता जब तक कि मामला अपील की अदालत में न आ जाए और फिर सबूत के तरीके के तहत पहली बार शिकायत न करे।"

(18) उपरोक्त टिप्पणियों को लागू करने से पहले, एक निष्कर्ष दर्ज करना होगा कि दस्तावेज़ अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। पूर्व के संबंध में ऐसा नहीं है। आर. 1 रोमन कैथोलिक मिशन के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर। डोगर मल के मामले में एक खंडपीठ ने (सुप्रा) इस प्रकार कहा-

> "किसी दस्तावेज़ को साबित करने का तरीका प्रक्रिया का प्रश्न है और इसे माफ किया जा सकता है। जब किसी दस्तावेज़ के प्रमाण के तरीके पर आपत्ति की गई थी, जैसे कि खाता पुस्तकों में प्रविष्टियों को बिना औपचारिक प्रमाण के नहीं देखा जा सकता था, उस समय नहीं लिया गया था जब दस्तावेज़ को निचली अदालत में साबित करने की मांग की गई थी और दस्तावेज़ को पार्टियों और

न्यायालय द्वारा स्वतंत्र रूप से संदर्भित किया गया था, इसे दूसरी अपील में पहली बार उठाने में बहुत देर हो चुकी है।"

(19) यदि उपरोक्त टिप्पणियों का अर्थ यह लगाया जाए कि जहां किसी पार्टी की खाता पुस्तकों में प्रविष्टियां विवाद में हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आपत्ति के अभाव में बिना औपचारिक सबूत के साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है अपील में उठाए गए, संबंध में यह कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

(20) सैत ताराजी खिमचंद और अन्य बनाम येलामर्ती सत्यम और अन्य(8) में, अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार देखा गया था: -

"वादी एक्ज़िबिट ए-12 और ए-13, क्रमश पर भरोसा करना चाहते थे। दैनिक बही और बही। वादीगण ने इन पुस्तकों को सिद्ध नहीं किया फैसले में इन किताबों का कोई जिक्र नहीं है. किसी प्रदर्शनी को चिह्नित करने मात्र से दस्तावेज़ों का प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता।

(21) इस प्रकार, कोई भी निर्भरता प्रस्ताव के लिए डोगर की माई (सुप्रा) से संतुष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्व। आर.1 प्रदर्शित कर दिया गया है, इसका औपचारिक प्रमाण खारिज कर दिया गया है और इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति अपील में नहीं ली जा सकती है।

(22) इसलिए, प्रश्न संख्या (3) का उत्तर सकारात्मक है।

(23) बीमाकर्ता के लिए विद्वान वकील के लिए सभी निष्पक्षता में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर और अन्य(9) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और विशेष रूप से निम्नलिखित पर मजबूत निर्भरता रखी। अवलोकन:-

---

(8) ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 1865।

(9) 1988 ए.सी.जे. 270.

(24) यह समझना मुश्किल है कि ये टिप्पणियां बीमाकर्ता के लिए कैसे मददगार हो सकती हैं। उत्तरदाताओं के वकील को बीमा पॉलिसी की फोटोस्टेट कॉपी को साक्ष्य में स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है।

(25) ऊपर दिए गए कानून के सवालों के मद्देनजर, यह अपील अब गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगी।

एस.सी.के.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी